संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–ढिलकी जाटान

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. भैरूसिह पुत्र करणीसिह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 करणीसिह पुत्र बनेसिह जाति राजपूत निवासी उदासर बडा तहसील नोहर
2. लिछमणसिह 3 दुगडसिह 4 सुमेरसिह 5 गजेन्द्रसिह पि0 करणीसिह जाति राजपुत निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।
6. प्रताप कंवर पुत्री करणीसिह जाति राजपुत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।
7. हनुमानसिह पि0मु0 बालुसिह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 179 सन 2018 निर्णय दिनांक–22.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 10/39 की 10.8480हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 10/36 की 151/1 की 12.1770हैक भूमि में वादी का 252–3/5 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 172–1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 112–1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 212–1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 कर 212–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– अखरे रूपये पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट– ढिलकी जाटान

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– ढिलकी जाटान

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 179 सन 2018

अनवान :–

1. भैरूसिह पुत्र करणीसिह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. करणीसिह पुत्र बनेसिह जाति राजपूत निवासी उदासर बडा तहसील नोहर
2. लिछमणसिह 3 दुगडसिह 4 सुमेरसिह 5 गजेन्द्रसिह पि0 करणीसिह जाति राजपुत निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।
6. प्रताप कंवर पुत्री करणीसिह जाति राजपुत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।
7. हनुमानसिह पि0मु0 बालुसिह जाति राजपूत साकिन उदासर बडा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेशचन्द शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 22..05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") मे पेश किया गया सक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 10/39 के खसरा न0 167/2 की 4.6020हैक , खसरा न0 181/2 की 6.2460हैक कुल 10.8480हैक तथा रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 10/36 के खसरा न0 151/1 की 12.1770हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा बनेसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता करणीसिह के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी सख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बराबर के हकदार है प्रतिवादी संख्या 5 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हकों का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 7 खोलायत होने के कारण उसका बाद भूमि में कोई हक नही है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तु रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा बनेसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 खोले जाने के कारण उसका हक हिस्सा नही है व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा बेचान कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जा चुका है। वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति होने से वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 10/39 की 10.8480हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 10/36 की 151/1 की 12.1770हैक भूमि में वादी का 252–3/5 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 172–1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 112–1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 212–1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 कर 212–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– अखरे रूपये पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–ढिलकी जाटान